न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. **अपील/एश्चीट एक्ट/2388/2016/जयपुर**

खेतडी ट्रस्ट जरिये प्रबंधक न्यासी खेतडी ट्रस्ट पृथ्वीराज सिंह पुत्र स्व0 श्री नटवर सिंह निवासी डी–66 बी सवाई माधोसिंह रोड, बनी पार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

.....प्रत्यर्थी

2. **अपील/एश्चीट एक्ट/2467/2016/जयपुर**

गजसिंह अलसीसर पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी अलसीसर हेवली, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जयपुर।
2. तहसीलदार, जयपुर तहसील, कलेक्ट्रेट, बेनीपार्क, जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
4. तहसीलदार, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

3. **अपील/एश्चीट एक्ट/2465/2016/झुंझुनू**

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी अलसीसर अपार्टमेंट, 42–ए, शिवपथ, रामनगर, सोड़ाला, जयपुर।
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी मधुवन फार्म, रेल्वे कोलोनी, जगतपुरा, जयपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

.....प्रत्यर्थी

अपील/एश्चीट एक्ट/2388/2016/जयपुर
अपील/एश्चीट एक्ट/2467/2016/जयपुर
अपील/एश्चीट एक्ट/2465/2016/झुंझुनू

खण्ड–पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री ओ.एल.दवे, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अपील सं. 2388/2016.
श्री अशोक अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अपील सं. 2388/2016.
श्री माधोराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अपील संख्या 2465/2016.
श्री शंकर लाल चौधरी, विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक :–11.10.2023

1– उक्त तीनों अपीलें राजगामी विनियम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 2–2–2016 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। हालांकि उक्त तीनों अपीलों के अपीलार्थीगणों के परस्पर दावों के तथ्य भिन्न–भिन्न है, किन्तु उक्त तीनों अपीलों में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–2–2016 की वैधता को चुनौती दिये जाने का आधार एक ही है। अतः उक्त तीनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय से किया जाना उचित है।

2– प्रकरण के तथ्यों पर प्रकाश डालने हेतु सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थी खेतड़ी ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2388/2016 के तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है। खेतड़ी ट्रस्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ठिकाना खेतडी के राजा बहादुर सरदार सिंह पेश के प्रमुख नागरिक होकर भारत की संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य व लाओस में भारत के राजदूत थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 28–1–87 को मुम्बई में हो गया। राजा बहादुर सरदार सिंह की मृत्यु के बाद उनकी ठिकाना खेतडी व जयपुर में स्थिति सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियों को कलक्टर जयपुर व झुंझुनू द्वारा राजा बहादुर सिंह को लावारिश मानकर व निर्वसीयत मानकर बिना कोई जांच पडताल किये राजगामी अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुये राजगामी

सम्पत्ति घोषित करते हुये अपीलार्थी खेतडी ट्रस्ट के ट्रस्टीयों से कब्जें में दिनांक 29-7-87, 31-7-87 व 3-8-87 को बिना किसी वैध नोटिफिकेशन के ले लिया। राजा बहादुर सिंह द्वारा एक अंतिम वसीयत दिनांक 30-10-85 को निष्पादित कर एक सील बंद लिफाफे में उसी दिन उप पंजीयक कार्यालय तीन हजारी नई दिल्ली में धारा 43 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जमा करवा दी। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को वसीयत के दोनों साक्षियों ने उपपंजियक के समक्ष तस्दीक किया तथा उक्त अंतिम वसीयत में राजा बहादुर सरदार सिंह ने राजस्थान के कई जिला में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति शिक्षा प्रसार हेतु खेतडी ट्रस्ट के नाम कर दी। खेतडी ट्रस्ट एक वसीयत द्वारा निर्मित वसीयती ट्रस्ट है, जिसका निर्माण राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा अपनी वसीयत में किया जो उनकी मृत्यु दिनांक 28-1-87 से प्रभावशील हुई। राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत में खेतडी ट्रस्ट हेतु निम्न व्यक्तियों को ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त किया गया :-

1- लेडी ओल्गा मेनिंग ऑफ हम्पटन

2- श्री डेनियल लतीफी

3- श्री रोमेश थापर

4- श्री परमेश्वर प्रसाद

राजा बहादुर सिंह की समस्त सम्पत्तियों को जागीर कमिश्नर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2-12-57 से उनकी निजी सम्पत्ति घोषित कर दी थी तथा उक्त समस्त सम्पत्तियां राजा सरदार सिंह की मृत्यु के बाद अंतिम वसीयत दिनांक 30-10-85 के अनुसार समस्त अधिकार व स्वत्व खेतडी ट्रस्ट को प्राप्त हो गये व समस्त चल अचल सम्पत्तियां व कृषि भूमि को खेतडी ट्रस्ट के के ट्रस्टीज के कब्जे में थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजा सरदार सिंह की सम्पत्तियों को लावारिस व निर्वसियत मानते हुये राजस्थान राजगामी अधिनियम की उपेक्षा करते हुये खेतडी ट्रस्ट के ट्रस्टियों से कब्जे में ले लिया। राजा बहादुर सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 30-10-85 के आधार पर खेतडी ट्रस्ट के तत्कालीन न्यासी परमेश्वर प्रसाद ने माननीय उच्च

न्यायालय दिल्ली में एक प्रोबेट याचिका सं. 26/87 दिनांक 13-3-87 प्रस्तुत की जो दिनांक 2-7-2012 को एकल पीठ में अस्वीकार कर दी गई लेकिन एकल पीठ ने माना कि वसीयत के सम्पादन तथा वसीयत पर हुये वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर तथा साक्षियों के हस्ताक्षर पर कोई विवाद नहीं है। उक्त निर्णय के विरूद्ध खेतडी ट्रस्ट ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली की खंड पीठ में एफएओ (ओएस) नम्बर 347/12 एवं 348/12 प्रस्तुत की, जो एडमिट होकर विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने बिना कोई जांच किये व बिना नोटिस दिये राजस्थान राजगामी विनियम अधिनियम 1956 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये जयपुर स्थित सम्पत्ति जो खेतडी ट्रस्ट के कब्जे एवं स्वामित्व की थी, को दिनांक 29-7-87 को तथा खेतडी में स्थिति सम्पत्ति एवं कृषि भूमि को दिनांक 31-7-87 व 3-8-87 को खेतडी ट्रस्ट से कब्जे में ले लिया। राज्य सरकार ने एश्चीट प्रावधानों के विपरीत जाकर 1987 से कृषि भूमियों को कब्जे राज में ले रखा है, जबकि खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि पर एश्चीट एक्ट लागू ही नहीं है। जिसके विरूद्ध श्री गजसिंह अलसीसर द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23-11-2012 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत स्पेशल अपील में खंड पीठ ने एकल पीठ के निर्णय को संशोधित करते हुय निर्देश दिये कि तहसीलदार दो सप्ताह में उक्त अधिनियम की धाारा 4 डी के तहत कलक्टर को रिपोर्ट प्रेषित करे तथा कलक्टर झुंझुनू उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत तीन माह में कार्यवाहीं करें। तहसीलदार से प्राप्त धारा 4 डी की रिपोर्ट के बाद जिला कलक्टर जयपुर ने राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं राजस्थान राजगामी नियम 1957 के नियम के तहत दिनांक 28-7-2014 को अधिसूचना जारी की, जिसमें राजस्थान में स्थित तहसीलदार व जिला जयपुर, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, तहसील खेतडी जिला झुंझुनू व तहसील आबू जिला सिरोही में स्थित सम्पत्तियों के बारे में यदि कोई विधिक वारिस/हितधारी हो तो अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिस पर खेतडी ट्रस्ट की ओर से

अन्दर अवधि आपत्ति प्रस्तुत की, कि राजा बहादुर सिंह द्वारा निष्पादित पंजिकृत वसीयत तीस हजारी कोर्ट में धारा 43 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जमा करा दी है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में सुरेन्द्र सिंह, नगेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह, श्री गजसिंह अलसीसर सगौत्री होने की आपत्तियों पेश कर उक्त अधिनियम की कार्यवाहीं को समाप्त किये जाने का निवेदन किया। विद्वान जिला कलक्टर ने अवैधानिक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय दिनांक 3-7-2012 एवं इसके विरूद्ध पेश की गई स्पेशल अपील में स्थगन नहीं होना मानकर अपीलार्थी की आपत्तियों को इस कारण खारिज कर दिया कि अपीलार्थी खेतडी ट्रस्ट आपत्तियां प्रस्तुत करने की लिये प्रभावित पक्षकार नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 2-2-2016 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत् अपील प्रस्तुत की गई है।

3- अपीलार्थी खेतड़ी ट्रस्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.एल. दवे एवं अपीलार्थी गजसिंह अलसीसर के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने निवेदन किया कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-2-2016 केवल मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि अपीलार्थीगण की प्रोबेट संबंधित याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है। जिला कलक्टर, जयपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-2-2016 केवल मात्र इसी निष्कर्ष पर आधारित है, अन्य कोई जांच कार्यवाही जिला कलक्टर द्वारा संपादित नहीं की गई है, किन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पलट दिया गया तथा Lord Northbook के हक में प्रोबेट जारी कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाये।

4- अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह व योगेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता माधोराज सिंह ने उपरोक्त तथ्यों पर सहमति जाहिर करते हुए यह भी निवेदन किया कि चूंकि प्रश्नगत संपत्ति व कार्यवाही के संबंध में उभय

पक्षों के मध्य माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक स्थगित रखा जाये।

5- विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अपनी बहस में कथन किया कि राजा बहादुर सरदारृ सिंह निःसंतान एंव निर्वसीयत फौत हुये, जिनकी चल-अचल सम्पत्ति को तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान राजगामी अधिनियम के अनुसरण में राज्य सरकार के पक्ष में कब्जे में लिया गया। जिला कलक्टर जयपुर ने विधिनुसार जांच व कार्यवाही करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी की रिट माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा खंड पीठ द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर जयपुर द्वारा में पारित निर्णय पूर्णतः विधिपूर्ण निर्णय है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत तीनों अपीलों को खारिज किया जाये।

6- उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ठिकाना खेतड़ी के राजा बहादुर सरदार सिंह की मृत्यु दिनांक 28-1-1987 को हो गई, जिसके पश्चात् informer द्वारका प्रसाद पारीक की सूचना पर जिला कलक्टर व तहसीलदार, जयपुर एवं झुंझुनु द्वारा escheat proceeding प्रांरभ की गई तथा संबंधित संपत्तियों का possession लेने के संबंध में तीन आदेश दिनांक 3-7-1987, दिनांक 22-7-1987 एवं दिनांक 3-8-1987 को जारी किये गये। जिला कलक्टर द्वारा escheat proceeding का निस्तारण आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा जिला कलक्टर जयपुर ने प्रश्नगत संपत्तियों को राजगामी करते हुए राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिनांक 2-2-2016 पारित किया, जिसके विरूद्ध ये तीनों अपील प्रस्तुत की गई है। इससे पूर्व प्रश्नगत संपत्तियां राज्य सरकार द्वारा कब्जे में लेने के संबंध में पारित किये गये आदेश दिनांकित 3-7-1987,

22-7-1987 एवं 3-8-1987 के विरूद्ध खेतड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी. सिविल याचिका संख्या 2713/1987 पेश की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका का निस्तारण दिनांक 17-11-2016 को किया गया तथा आदेश दिनांक 17-11-2016 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ ने आदेश दिनांक 3-7-1987, 22-7-1987 एवं 3-8-1987 को अपास्त कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ के उक्त आदेश दिनांक 17-11-2016 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 6677/2019 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के निर्णय स्वरूप दिनांक 28-8-2019 को खण्ड-पीठ के माननीय न्यायाधीशगण द्वारा परस्पर अलग-अलग मत व्यक्त किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रकरण larger bench को रेफर किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की larger bench के समक्ष उक्त अपील अभी विचाराधीन है।

7- जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष escheat proceeding लंबित रहने के दौरान अपीलार्थीगण दावेदारों द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रोबेट याचिका test case no. 26/1987 पेश की गई है। उक्त प्रोबेट याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 3-7-2012 को खारिज करते हुए निस्तारित की गई तथा इसी निर्णय को आधार मानते हुए योग्य जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-2-2016 पारित किया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 3-7-2012 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा पुनः तीन भिन्न-भिन्न अपीलें पेश की गई हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ के निर्णय दिनांक 11-7-2023 द्वारा Lord Northbook (जो कि खेतड़ी ट्रस्ट का ट्रस्टी है) के हक में प्रोबेट जारी की गई तथा FAO (OS) 348/2012 को स्वीकार किया गया एवं FAO (OS) 347/2012, FAO (OS) 211/2013

को सारहीन मानते हुए निस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत वसीयत के संबंध में Lord Northbook के हक में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा प्रोबेट जारी की जा चुकी है।

8- माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 6677/2019 larger bench को रेफर होने के पश्चात् उक्त अपील में आदेश दिनांक 22-9-2022 पारित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा राज्य सरकार को कुछ तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 22-9-2022 के पृष्ठ संख्या-6 के तृतीय पैरा में निम्नानुसार अंकित किया गया है :-

> ‘‘There is little doubt over the issue that if the probate of Will is granted or the cognates/agnates are able to establish their rights, the escheat proceedings would really be void ab initio.’’

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी होने की स्थिति में escheats proceeding प्रारंभतः शून्य हो जायेगी।

9- The Rajasthan Escheats Regulation Act, 1956 की धारा-7 अपील के संबंध में है जो निम्नानुसार विहित करती है कि :-

> "7. Appeal.-Any **informer** aggrieved by the final order of the Collector under sub-section (9) of section 6 may appeal to the Board within sixty days of passing thereof."

इस प्रकार escheats Act की धारा-7 से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम में केवल मात्र informer को जिला कलक्टर द्वारा धारा-6 (9) के तहत् पारित आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी दावेदार को अपील करने का अधिकार उक्त उपबंध के तहत् उपलब्ध नहीं है, किन्तु साथ ही escheats act की धारा-6(7) निम्नानुसार उपबंधित करती है कि :-

> "(7) The collector may, if any inquiry under this section involves a complicated question of law as to title or status which has not been previously adjudicated upon by a Civil Court of competent jurisdiction, and shall, if there are two or more claimants in respect of the same property, require any or all of the claimants to apply for a succession certificate in respect of such property or to institute a suit for a declaration of title thereto within such period not exceeding six months in the aggregate as the Collector may from time to time fix, and if such application or suit has been made or instituted, the Collector shall stay the proceedings before him and the disposal of the property shall be subject to the result thereof."

10- इस प्रकार escheats act की धारा-6(7) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि escheats proceeding में प्रश्नगत संपत्तियों का कोई दावेदार अपने दावे की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय से करवा सकता है एवं इसीलिये इस अधिनियम के तहत् कोई अपील का अधिकार दावेदार को नहीं दिया गया है। अतः दावेदारों द्वारा escheats act की धारा-7 के तहत् कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीले पोषणीय नहीं है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ द्वारा प्रश्नगत वसीयत के संबंध में Lord Northbook के हक में प्रोबेट निर्णय दिनांक 11-7-2023 के द्वारा जारी किया जा चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6677/2019 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2022 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी हो जाने की स्थिति में escheats proceeding प्रारंभतः शून्य हो जायेंगी। इसके अलावा escheats act की धारा 6(7) में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी दावेदार द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों बाबत् कोई कार्यवाही की जाती है तो कलक्टर द्वारा उसके समक्ष की कार्यवाही सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय तक रोक दी

जायेगी। धारा 6(7) की अंतिम पंक्तियों में स्पष्टतः अंकित है कि '' Collector ***shall*** stay the proceedings before him''

उक्त पंक्ति में "shall" शब्द अंकित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि कलक्टर को सिविल न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक अपने समक्ष की कार्यवाही रोकनी ही होगी। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प कलक्टर के पास उपलब्ध नहीं है।

11- इस प्रकरण में संबंधित कलक्टर के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि प्रश्नगत संपत्ति के दावेदारों द्वारा अपने अधिकारों के संबधं में सक्षम सिविल न्यायालय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही की गई है। एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध यदि खण्ड पीठ के समक्ष कोई अपील की गई है तो वह भी continuity of suit ही मानी जायेगी। अतः संबंधित कलक्टर से यह अपेक्षित था कि जब तक समक्ष सिविल न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित न किया गया हो तब तक उन्हें escheats proceeding में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिये था, जबकि इस प्रकरण में कलक्टर के समक्ष यह स्पष्ट था कि संबंधित दावेदारों द्वारा एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। कोई भी निर्णय अंतिम तब माना जाता है जब या तो उसके विरूद्ध कोई अपील उपलब्ध न हो अथवा यदि अपील उपलब्ध हो तो वह प्रकरण अपील न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो अथवा अपील किये जाने के समय का अवसान हो गया हो तथा व्यथित पक्षकारों द्वारा कोई अपील न की गई हो, किन्तु इस प्रकरण में संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष अपील लंबित थी, जिससे स्पष्ट है कि कलक्टर द्वारा व्यथित आदेश दिनांक 2-2-2016 पारित किये जाने के वक्त प्रोबेट कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में संबंधित कलक्टर से अपेक्षित था कि escheats proceeding में कोई अंतिम आदेश पारित करने के बजाय वह प्रोबेट कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित होने तक escheats proceeding की कार्यवाही को स्थगित रखते, किन्तु ऐसा न

करने में संबंधित कलक्टर ने विधि एवं तथ्य संबंधी गंभीर त्रुटि कारित की है। उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा प्रश्नगत वसीयत के संबंध में Lord Northbook के हक में निर्णय दिनांक 11-7-2023 के द्वारा प्रोबेट जारी की जा चुकी है।

12- अतः माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के FAO (OS) 347/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11-7-2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22-9-2022 *(अंतर्गत सिविल अपील संख्या 6677/2019)* के आलोक में राजस्व मण्डल की पर्यवेक्षणीय एवं पुनरीक्षण अधिकारिता (supervisory & revisional jurisdiction) के तहत् यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है कि जिला कलक्टर, जयपुर का आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 प्रश्नगत वसीयत व उसके संबंध में जारी प्रोबेट से संबंधित संपत्ति के संबंध में प्रभावहीन हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रभावहीन हो चुके आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत समस्त अपीलें सारहीन भी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत तीनों अपीलें पोषणीयता के अभाव में एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

13- परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें पोषणीयता के अभाव में एवं जिला कलक्टर, जयपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 के प्रभावहीन हो जाने के कारण सारहीन होने से एतद् द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

चूंकि अपील खारिज होने का अर्थान्वयन जिला कलक्टर, जयपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 2-2-2016 की पुष्टि के रूप में न हो, इसलिये राजस्व मण्डल की पर्यवेक्षणीय एवं पुनरीक्षण अधिकारिता (supervisory & revisional jurisdiction) के तहत् यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ के FAO (OS) 347/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11-7-2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22-9-2022 *(अंतर्गत सिविल*

अपील संख्या 6677/2019) के आलोक में प्रश्नगत वसीयत एवं उसके संबंध में जारी प्रोबेट से संबंधित संपत्ति के संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर का आक्षेपित आदेश दिनांक 2–2–2016 प्रभावहीन हो चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी के परस्पर विवादित अधिकारों का कोई निर्धारण इस अपील द्वारा नहीं किया जा रहा है (जो किया जाना राजस्व मण्डल के क्षैत्राधिकार में भी नहीं है।) अपीलार्थीगण के परस्पर अधिकारों का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल अपील संख्या 6677/2019 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

14– अतः उपरोक्त समस्त अपीलें उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। निर्णय की एक–एक प्रति पत्रावलियों में संलग्न की जाये एवं अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष